



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं.: 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि०प्रा०/नि 1-03/ 2019 खण्ड

1926 / पटना, दिनांक 22/11/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- जिला पदाधिकारी,
सभी नोडल पदाधिकारी (स० स०) -सह- उप विकास आयुक्त,
सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- अनुमंडल पदाधिकारी,
सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सभी निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी।

विषय : पैक्स निर्वाचन, 2019 : महत्वपूर्ण/ नाजुक घटनाओं (critical events) को रिकॉर्ड करने हेतु विडियोग्राफी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि संगत निर्वाचन कानूनों एवं प्राधिकार के स्थायी निदेशों के उल्लंघन, सही, विश्वसनीय एवं समकालीन (contemporaneous) रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा सुधारात्मक उपायों के प्रभाव का आकलन करने हेतु, प्रत्येक पैक्स के निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रचार की अवधि, मतदान की तिथि, मतदत्त मतपेटिकाओं तथा अन्य निर्वाचन सामग्रियों का परिवहन एवं प्राप्ति, मतगणना एवं निर्वाचन के परिणामों की घोषणा आदि महत्वपूर्ण घटनाओं को विडियोग्राफी के माध्यम से रिकॉर्ड करने हेतु स्वतंत्र एवं उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

1. उक्त उद्देश्य के लिए निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी/अर्द्धसरकारी अभिकरणों के पास उपलब्ध विडियो कैमरे एवं कर्मीदल (crew) का उपयोग कर सकता है अथवा स्वतंत्र व्यावसायिक विडियोग्राफर्स की सेवा किराए पर ले सकता है।

2. विडियो टीम का कार्यक्रम (itinerary) तय करते समय निर्वाचन पदाधिकारी मतदाताओं की संख्या, क्षेत्र का विस्तार, संवेदनशीलता, मतदान केन्द्रों की संख्या, बूथ कब्जा का पूर्व इतिहास एवं अन्य अनाचार, सामान्य विधि-व्यवस्था, भ्रष्ट आचरण/ निर्वाचन अपराध के घटित होने की संभावना एवं अन्य संबद्ध बिन्दुओं को ध्यान में रखेगा।

3. उपर्युक्त आधार पर निर्वाचन पदाधिकारी अपने विवेक से विडियो टीम की आवश्यकता का आकलन करेगा। आकलन के समय में मितव्ययता को पूरी तरह ध्यान में रखेगा।

4. विडियोग्राफर्स के चयन एवं उनके अभिनियोजन (deployment) के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिया जाता है:-

- (i) स्वतंत्र विडियोग्राफर की पूरी तरह स्क्रीनिंग की जाएगी, यथा उसकी व्यवसायिक क्षमता, ट्रैक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति अथवा अन्य संबद्ध बिन्दु।
- (ii) विडियोग्राफर के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति का चयन नहीं किया जाएगा जो किसी अभ्यर्थी का समर्थक, उससे सहानुभूति रखने वाला अथवा उसका कोई संबंधी हो अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा किराए पर नियोजित किया गया हो।
- (iii) कर्तव्य पर आरुढ़ रहने की अवधि में विडियोग्राफर को चाय, स्नैक्स आदि निर्वाचन पदाधिकारियों के स्तर से दिया जाएगा तथा उसे अपने भरोसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विडियोग्राफर किसी अभ्यर्थी/उसके अभिकर्ता/समर्थक आदि का आतिथ्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे।
- (iv) विडियो टीम निर्वाचन से संबंधित किसी वरीय अधिकारी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन काम करेगी।
- (v) जब भी तथा जहाँ भी आवश्यकता हो, विडियो टीम को प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के साथ काम करने हेतु लगाया जा सकेगा ताकि उनके द्वारा अवलोकित महत्वपूर्ण घटनाओं की भी विडियोग्राफी की जा सके।
- (vi) विडियोग्राफर्स के मन में यह बात अच्छी तरह बैठा दी जानी चाहिए कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य मात्र ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं की विडियोग्राफी करनी है जिससे मतदान के दूषित (vitiate) होने की संभावना हो; सी0 डी0 भरने के लिए सभी घटनाओं की रूटीन रूप में विडियोटेपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। विडियो टेपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित "क्या करें" तथा "क्या न करे" का अनुसरण किया जाएगा।

क्या करें (Do's)

1. जिन बैठकों को मंत्रियों/उच्च स्तरीय राष्ट्रीय/राज्य नेताओं द्वारा संबोधित किया गया है;
2. दंगा फसाद, ढेलेबाजी, कुव्यवस्था आदि की स्थितियां;
3. हिंसात्मक घटनाओं, संपत्ति का विनष्टीकरण, लूट-पाट, हरबे-हथियारों का प्रदर्शन आदि;
4. बूथ कब्जा;
5. मतदाताओं को डराया-धमकाया जाना;
6. साड़ी, धोती, कम्बल आदि का वितरण कर मतदाताओं को खुले रूप में प्रभावित करने की घटना;
7. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर प्रचार प्रसार करना;
8. धन-बल तथा बड़े कट-आउट लगाना आदि का कुत्सित प्रदर्शन;
9. चुनाव प्रचार हेतु माईकयुक्त भ्रमणशील वाहन;
10. लाउडस्पीकर, बैनर, पोस्टर आदि का प्रयोग;
11. बिना परमिट के वाहन द्वारा प्रचार-प्रसार।

क्या नहीं करें (DON'TS)

1. मतदान केन्द्र के बाहर पंक्तिबद्ध मतदाता; किन्तु अगर निर्वाचन पदाधिकारी समझे कि ऐसी विडियोग्राफी से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में सहायता मिलेगी, तो पंक्तिबद्ध मतदाताओं की विडियोग्राफी कराए जाने पर प्राधिकार को कोई आपत्ति नहीं है;
 2. मतगणना केन्द्र के अन्दर का कोई दृश्य;
 3. घर-घर घूमकर चुनाव प्रचार;
 4. स्थानीय नेताओं द्वारा संबोधित निर्वाचन सभा;
- (vii) टीम के साथ चलने वाला सरकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मिशन की गोपनीयता बरकरार रहे तथा विडियो टेप अनधिकृत हाथों में नहीं पड़ जाए तथा इसका कोई अंश नष्ट अथवा विकृत नहीं कर दिया जाए।
- (viii) इस प्रकार से तैयार फिल्म का निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तुरंत अवलोकन किया जाएगा ताकि यह चिह्नित किया जा सके कि किसी अभ्यर्थी/अधिकर्ता अथवा बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों द्वारा विधिक प्रावधानों एवं प्राधिकार के निदेशों यथा निर्वाचन संचालन से संबंधित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अथवा व्यतिक्रमण (infraction) नहीं किया गया है।
- (ix) जिन मामलों में निर्णय लेने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं सक्षम है, वह तुरंत सभी दोषी व्यक्तियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से प्राधिकार को सूचित करेगा।
- (x) गंभीर उल्लंघन के मामले, जिसे निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को प्रतिवेदित करना आवश्यक समझता हो, यथासंभव द्रुत माध्यम से प्राधिकार को प्रेषित करेगा। टेप को ध्यानपूर्वक सूचीबद्ध कर दिया जाएगा, तथा उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी अंकित की रहेगी, जिस ओर निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। टिप्पणी में उल्लंघन की घटनाओं का मोटा-मोटी विवरण, उत्तरदायी व्यक्तियों एवं अनुशंसित कार्रवाई का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाएगा।
- (xi) मतों की गणना शुरू करने एवं परिणाम का प्रकाशन करने के संबंध में प्राधिकार की अनापत्ति (clearance) प्राप्त करने के समय निर्वाचन पदाधिकारी इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगा कि विडियो टेप घटनाओं में दृष्टिगत सभी उल्लंघनों का समुचित एवं पूर्ण रूप से निष्पादन कर दिया गया है।
- (xii) प्राधिकार के निदेशों के अनुरूप तैयार किया गया प्रत्येक विडियो संबंधित चुनाव के अभिलेखों का एक हिस्सा होगा तथा तब तक सावधानीपूर्वक जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक प्राधिकार उसे हटाने की लिखित अनुमति नहीं दे दे तथा उसका विनष्टीकरण अन्य निर्वाचन अभिलेखों के विनष्टीकरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा।

- (xiii) प्रत्येक विडियो टेप एक समान कोड संख्या सहित निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध (indexed) किया जाएगा:-

जिला/प्रखंड/पैक्स/रिकॉर्डिंग की तिथि/विडियोग्राफ्ड घटनाओं का सार

- (xiv) टेपड विडियो इस प्रकार रखा जायेगा कि उसकी अंतर्वस्तु का दूसरे सी0 डी0 में कॉपी नहीं किया जा सके। भंडार में रखने के पहले उसे एक टेप से कभर कर दिया जाएगा ताकि दुर्घटनावश अंतर्वस्तु के मिट जाने आदि की किसी संभावना को रोका जा सके।
- (xv) किसी भी व्यक्ति द्वारा विडियो सी0 डी0 का निरीक्षण किया जा सकता है किन्तु इस हेतु संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप में आवेदन देना होगा कि वह किस घटनाक्रम का निरीक्षण करना चाहता है। ऐसे निरीक्षण की अनुमति तभी दी जा सकेगी अगर संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रति घंटे या उसके अंश के लिए एक सौ रुपये की फीस परित्त कर दी गई हो; अत्यावश्यक (urgent) निरीक्षण के मामलों में यह फीस दो सौ रुपये होगी। साधारण आवेदन पर निरीक्षण की अनुमति यथासंभव आवेदन देने के दूसरे दिन अथवा उसके बाद का दिन एवं अत्यावश्यक मामलों में उसी दिन दे दी जाएगी।
- (xvi) एक सौ रुपये आवेदन फीस एवं कॉपी करने पर आने वाले वास्तविक खर्च की अदाएगी कर देने पर किसी व्यक्ति को विडियो सी0 डी0 की सत्यापित कॉपी दी जा सकेगी। ऐसे आवेदन में संबंधित व्यक्ति को स्पष्टतया प्रकट करना होगा कि उसका विडियो सी0 डी0 में सीधा एवं मूर्त हित (direct and tangible interest) है तथा ऐसे हित की प्रकृति भी स्पष्ट करनी होगी।
- (xvii) आधिकारिक उद्देश्यों से किए जाने वाले निरीक्षण अथवा सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। विडियो के किसी फूटेज को हटा दिए जाने अथवा उसके नष्ट या विकृत कर दिए जाने की संभावना को दूर करने हेतु अधिकारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए तथा एक ही साथ कई व्यक्तियों द्वारा सी0 डी0 के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (xviii) जिला निर्वाचन पदाधिकारी अथवा प्राधिकार कार्यालय में मांगे जाने पर विडियो सी0 डी0 तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।
- (xix) किसी भी परिस्थिति में सी0 डी0 की अंतर्वस्तु की अधिप्रामाणिकता (authenticity) एवं यथातथ्यता (veracity) की गारंटी के संबंध में कोई लिखित वचनबन्ध/ आश्वासन (undertaking) नहीं दिया जाएगा तथा वह “जिस रूप में है” के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

5. कृपया प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से सभी संबंधित अधिकारियों/ अभ्यर्थियों को अविलंब अवगत करा दिया जाए।

विश्वासभाजन

(रंजना कुमारी)

संयुक्त सचिव।

६